



**समूह-5 के अंतर्गत पैरामेडीकल संवर्ग एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पदों
हेतु | a Dr HkrhZ ijh{kk&2015**

i j h{kk | pkyu , oa HkrhZ fu; e i fLrdk

ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	28.03.2015
ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की अंतिम तिथि	26.04.2015
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	27.04.2015
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि	03.05.2015
परीक्षा दिनांक व दिन	31.05.2015 रविवार
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)
	सीधी भर्ती — बैकलॉग
	बैगा, सहारिया एवं भारिया विशेष अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये
ऑनलाईन आवेदन — पत्र भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क : - 70@& देय होगा।	

| e; | kj . kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियों भरने का समय	प्रश्न—पत्र वितरण समय	प्रश्न—पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
31-05-2015 Vj fooyj h	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे से	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे)

VII . kh %&

- परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट पश्चात तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश—पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त /जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश—पत्र के साथ साथ मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक अथवा उसके द्वारा अतिरिक्त रूप से चयनित अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा तिथि पर साथ नहीं लाने की रिति में ही मण्डल द्वारा जारी प्रवेश—पत्र (टी.ए.सी.) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा, परीक्षार्थी को तभी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्रता होगी।
- मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये हॉर्डकॉपी में आवेदन—पत्र भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप (नियम पुस्तिका के प्रारूप-3) में विभिन्न विभागों के पृथक् — पृथक् पदों हेतु पृथक् आवेदन पत्र प्रेषित करना होगा।



समूह-5 के अंतर्गत पैरामेडीकल संवर्ग एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पदों
हेतु | a Dr HkrhZ ijh{kk&2015

fo"k; &I ph

I - Øa	fooj . k	i "B Ø-
1.	v/; k; &1 & सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली	03 & 13
2.	v/; k; &2 – विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	14 & 40
3.	v/; k; &3 – व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	41 & 57
4	v/; k; &4& परीक्षा का पाठ्यक्रम	58 & 58
5.	i k: i &1 – प्रश्न—पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	59 & 59
6.	i k: lk&2 & आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	60 & 60
7.	i k: lk&3 & बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अन्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	61 & 62

v/; k; & 01
I kekJ; c'kkI u foHkkx
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

fu; e

1- I f{klr uke rFkk ckjkk &

- (1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013" है।
(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2- i fjHkk"kk, ॥ & इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;
- (ख) "न्यूनतम अर्ह अंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;
- (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ड.) "संस्था" से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियमित विभिन्न निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाएँ;
- (च) "कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा" से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा;
- (छ) "सफल अभ्यर्थियों की सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;
- (ज) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (झ) "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;
- (झ) "पद" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;

- (ट) "भरती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;
- (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ड.) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (ण) "उपक्रम" से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;
- (त) "व्यापम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;
- 3- **yklxw gkuk %&** (1) ये नियम राज्य के सभी विभागों/संस्थाओं को लागू होंगे।
- (2) सरकारी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा संस्थाओं के कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने के लिए चयन, मण्डल द्वारा, उसके द्वारा नियम मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। सभी विभागों/संस्थाओं को ऐसे चयन, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करवाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- (3) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।
- 4- **fokkkxh; Hkj rh fu; ek dks eku; rk cnu fd; k tkuk &** वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगे और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगे और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।
- 5- **vgldkj|| vyd &** (1) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने नियम 7 में समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे।
- (2) इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि –
- (क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है;
 - (ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;
 - (ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो;
 - और
 - (घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

6- foLrkj &

- (1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें नियम 6 में यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।
- (2) मण्डल, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओं/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित करेगा।

I kekU; ç'kkI u foHkkx] e=ky; oYyHk Hkou] HkksI ky ds I aksku i fj i = Øekd 74]
HkksI ky fnukd 16 Qjojh 2015 ds vuq kj dfMd k 7 I ok I eug eü fuEukuq kj
I aksku fd; k x; k gA

- 7- I ok I eug & विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिनके कि लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् –

rkfydk

I - Ø-	I ok I eug	i n dk I ox@i nuke	Jskh
5.	समूह—पाँच	पैरामेडीकल संवर्ग एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एवं अन्य समकक्ष पद।	तृतीय श्रेणी

- 8- विभाग/उपक्रमों के मांग पत्र – सभी विभाग/उपक्रम ऐसे समस्त पदों के लिए जो कि भरे जाने हैं तथा जिनके आगामी भरती वर्ष में रिक्त होने की सभावना है, मांग पत्र मण्डल को प्रत्येक भरती वर्ष के 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से भेजेंगे।

- (2) विभाग/उपक्रम मण्डल को मांगपत्र निम्नलिखित जानकारी के साथ भेजेंगे : –

- (क) मण्डल के मांगपत्र में भरे जाने वाले पदों के लिए प्रस्ताव;
- (ख) परीक्षा के लिए संबंधित नोडल अधिकारी के पद का नाम तथा पता;
- (ग) राजपत्र में प्रकाशित भरती नियम की एक प्रति;
- (घ) आरक्षित वर्ग के पदों का विवरण दर्शाने वाली तालिका।

- 9- i jh{kk dk vk; kstu & ऊपर नियम 7 में उल्लिखित सेवा समूह – 5 के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/ पद के लिए आयोजित की जाएगी।

संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् –

rkfydk

I - Ø-	I eug	ç'u i = dh dh I a[; k	dqy vd	ç'u i = dk fooj .k
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	समूह—पाँच	01	100	सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य हिन्दी, सामान्य विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अभिरुचि,

- (1) अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मण्डल को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित 'kxkf.kd vgrk अनिवार्य होंगी, अर्थात् –

I eyg & i kp

अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तथा उसके पास संबंधित पद के लिये आवश्यक प्रमाण—पत्र/पत्रोपाधि (डिप्लोमा) हो।

- (2) अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा मण्डल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि मण्डल का।
- 13½ vkl; q | hel & उन समस्त पदों के लिए जिनके कि लिए मण्डल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु—सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु—सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के pkyw o"kl dhl 1 tuojh की स्थिति में की जाएगी :

परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस), आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालक पदों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे विभागों के कार्यपालक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों में विहित किए गए अनुसार लागू होगी :

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु—सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

I kekU; c'kkI u foHkkx] e=ky; oYyHk Hkou] Hkks ky ds I a kksku i fji = Øekd 74] Hkks ky fnukd 16 Qjojh 2015 ds vuq kj dfMd 10 e mi fu; e&03 ds i 'pkr~ fuEufyf[kr mi fu; e vr%Fkkfi r fd; k x; k g tks fuEukuq kj gS &

- (क) विभिन्न विभागों के पदों एवं उनकी योग्यता आदि भिन्न—भिन्न रहती है, विषयवार परीक्षा आयोजन करने के कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से, व्यावसायिक परीक्षा मंडल संलग्न परिशिष्ट (कंडिका—07 सेवा समूह) में अंकित समूहों में वर्णित उप समूहों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेगा, इसे साथ—साथ वर्णित पदों की वांछित योग्यता/अनुभव को

विभागों की आवश्यकता को देखते हुए यदि किसी समूह के पद को अन्य समूह में रखते हुए परीक्षा आयोजित करतो हैं तो वह कार्य भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल कर सकेगा।

(ख) कुछ विभागों के पदों में विभिन्न प्रकार के तकनीकी स्वरूप की दक्षता चाही जाती है जो केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना संभव नहीं होता है उदाहरणस्वरूप स्टेनोग्राफर, स्टेनोटायपिस्ट आदि, ऐसे मामलों में व्यावसायिक परीक्षा मंडल आवश्यकता के अनुरूप यह निर्णय करेगा कि परीक्षा में इस प्रकार की तकनीकी दक्षता का आंकलन करने के लिए अतिरिक्त स्तर की परीक्षा आयोजित की जा सके व उसमें न्यूनतम कट ऑफ अंक नियत किये जाकर जो पात्रता में अंक प्राप्त होंगे वे अंक प्रथम चरण की परीक्षा में जोड़कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

11- vH; fFk; k }kj k vkonu cLrt fd; k tkuk &

- (1) मण्डल एक विज्ञापन जारी करके प्रत्येक समूह या पद के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा, अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन या जैसा कि मण्डल द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करेंगे। आवेदन नियत तारीख तक कार्यालय समय में मण्डल के कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंचना चाहिए;
- (2) नियत अंतिम तारीख के पश्चात् प्राप्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे तथा मण्डल अभ्यर्थियों को कोई लिखित जानकारी देने का दायी नहीं होगा।
- (3) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग/कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिह्नित कर सकेगा।
- (4) अभ्यर्थी पृथक् रूप से एक से अधिक समूह की परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकेगा यदि उसके पास ऊपर वर्णित पद के लिए समुचित अर्हता हो। विभिन्न पदों के लिए उसे पृथक् आवेदन फार्म जमा करना होगा और समूहवार चयन परीक्षा में पृथक—पृथक उपस्थिति होना होगा।

12- e. My }kj k i j h{kk i fj . kkeka dh ?kk;k. kk vkJ | Qy vH; fFk; k dh | ph tkjh djuk

- (1) मण्डल, परीक्षा के चालू वर्ष के 30 अप्रैल तक अपने परिणाम घोषित कर देगा और गुणागुण के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की सूची तथा नियम 6 में तथा वर्णित समूहों के लिए विभागों के अधिमान भी जारी करेगा।
- (2) मण्डल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/ महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।
- (4) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अहं पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।

- (5) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक—पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगे।
- (6) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।
- (7) समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

13- fu; fDr ds fy, e.My dI vuqkd k, &

- (1) मण्डल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।
- (2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताएँ पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा।
- (3) चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहाँ अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वतः ही रद्द हो जाएगी।
- (4) यदि किसी विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित अवधि तक रिक्तियों की जानकारी नहीं दी गई हो तो संबंधित समूहों के अंतर्गत ऐसी उपलब्ध अनुमानित रिक्तियों की जानकारी जो वर्ष के दौरान वास्तविक रिक्तियों में परिवर्तित होंगी, विभागों द्वारा मण्डल को किसी भी स्थिति में परीक्षा वर्ष के 15 जुलाई तक उपलब्ध करानी होगी। शेष अभ्यर्थियों से जिनके नाम अर्हता सूची में आए हैं, उनके विभागों की प्राथमिकता पूछी जाएगी जिससे मण्डल द्वारा उनके नामों को योग्यता सूची के आधार पर क्रमानुसार संबंधित विभागों को अप्रेषित किया जा सके। मण्डल, विभागों को परीक्षा वर्ष के 15 अगस्त तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश देगा। अभ्यर्थी उनके आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक उनके चाहे गए आवंटित विभाग में अपना पदभार ग्रहण करने के दायित्वाधीन होंगे। यदि अभ्यर्थी ऐसा नहीं करना है तो संबंधित परीक्षा में उसका चयन स्वतः ही रद्द हो जाएगा।

14- I Qy vH; ffk; k; dI vfre I phI dI fof/kekI; rk dI vof/k &

- (1) किसी भर्ती वर्ष में परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, अंतिम सूची की घोषणा होने की तारीख से 18 मास के लिए विधिमान्य होगी किन्तु आगामी वर्ष की परीक्षा के परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् अविधिमान्य हो जाएगी।

- (2) मण्डल, अंतिम सूची की विधिमान्यता की समाप्ति के 6 मास पूर्व अर्थात् जनवरी मास तक आगामी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देगा

परन्तु सफल अभ्यर्थियों की, नयी अंतिम सूची जारी होने की तारीख तक, यदि मण्डल ने संबंधित विभागों को अभ्यर्थियों के नाम भेज दिए हैं तो विभाग अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर सकेगा और नयी सूची पूर्व की सूची को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी।

15- $\text{çek.k i} = \text{kə dk l R; ki u rFkk fu; fDr dh çfØ; k &$

- (1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा। यदि अभ्यर्थियों के लिए कोई विभागीय परीक्षा आयोजित किए जाने की आवश्यकता है तो संबंधित विभाग द्वारा उसे आयोजित किया जाएगा तथा ऐसी परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित नहीं की जाएगी।
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्रवाई सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा।

16- $\text{vkj}\{\text{k.k &}$

- (1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टीकल) आरक्षण लागू होगा –

अनुसूचित जनजाति	–	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	–	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	–	14 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

$\frac{1}{2}\{\text{kfrt vkj}\{\text{k.k &}$

- (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।

- (ख) निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कुल 6 प्रतिशत दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थि बाधित के लिए 2–2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

- (ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।

- (3) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्ययेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के व्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी मण्डल द्वारा नहीं।

(ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी

17- vkonu 'k\ld &

आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

18- ; k=k HkÜkk &

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी अपने निवास से निकटतम परीक्षा केन्द्र चुनेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में ही परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की नगद प्रतिपूर्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख के पश्चात् आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सूची यात्रा व्ययों का अनुमानित आधार पर निर्धारण करने के लिए संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

19- i j h{k dñhi &

इन नियमों के जारी किए जाने की तारीख से सरकार के समस्त पदों की भरती जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं आते हैं, इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार मण्डल द्वारा की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा

विभाग के अधीन आने वाली शासकीय और अर्ध शासकीय संस्थाएँ मण्डल के परीक्षा केन्द्र बनाए जाने हेतु किए गए अनुरोध को स्वीकार कर सकेंगी। यदि ऐसे केन्द्र पर संघ लोक सेवा आयोग, मण्डल की परीक्षाओं की तारीख पर अपनी परीक्षाएँ करवा रहा हो तो मण्डल का ऐसा प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। “इसके अतिरिक्त उक्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ मण्डल की परीक्षाओं के कार्य संपादन हेतु भी ली जा सकेंगी। अतः उपरोक्त कर्मचारीवृन्द की सेवाएँ अत्यावश्यक सेवाएँ होंगी।”

20- fuj gJrk &

- (1) मण्डल अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मण्डल ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।
- (2) (क) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

21- vH; FkhZ dI ekufI d vkj 'kkjhfj d fLFkfr &

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो

22- vkonukः dk jnn fd; k tkuk &

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

23- vH; FkH }kj k vkJ {k. k dk nkok &

- (1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
- (2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।
- (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्यिता इकाई द्वारा अतिशेष घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

24- vH; fFkH jnn djus ds fy, vkJ/kkj &

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने –

- (क) लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या
- (ख) प्रतिरूपण किया हो; या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो; या
- (घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों;
- (ड) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या
- (च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधान के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या
- (छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किय हो;
- (ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या
- (झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या
- (ज) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में इस प्रकार दुर्व्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

25- fu% kDrtuk ds fy; s vkj f{kr i nk dhl i frz &

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-8-2 / 2013 / आ.प्र. / एक भोपाल दिनांक 30.06.2014 के अनुसार निःशक्तजनों के लिए 06 प्रतिशत हॉरिजेण्टल आरक्षण दिया गया है और उसमें भी अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित के लिए 02-02 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 31 मार्च, 2005 जारी करते हुए पूर्व में आरक्षित किए गए रोस्टर के बिन्दुओं को निरस्त करते हुए तीन खण्ड बनाये गये हैं। अतः निःशक्तजनों के जो भी पद विज्ञापित किए गए वह वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थिबाधित/ श्रवणबाधित/ दृष्टिबाधित) हो। इस प्रक्रिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होंगे, उन्हें रोस्टर में संबंधित वर्ग के रिक्त बिन्दुओं पर अंकित किया जाएगा। हॉरिजेण्टल आरक्षण में वर्गवार प्रतिनिधित्व देना आवश्यक नहीं है, किन्तु वर्टीकल आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बनाये रखना आवश्यक है। इसमें कोई भी आरक्षित वर्ग के पद को किसी अन्य श्रेणी से भरने की अनुमति नहीं है।

अध्याय – 02

समूह–5 के अंतर्गत पैरामेडीकल संवर्ग एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पदों हेतु। | Dr Hkrhijh{kk&2015

भर्ती का प्रकार	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त हैं	पद	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या				
			अना.	अजा.	अजजा	अपि०	कुल
सीधी भर्ती	1. कमला नेहरू चिकित्सा गैस राहत, भोपाल (म.प्र.)	ई.सी.जी टेक्नीशियन	01	—	01	—	02
		रेडियोग्राफर	04	01	01	—	06
		ओ.टी. सहायक	01	—	01	—	02
	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.)	लैब असिस्टेंट	07	03	02	03	15
		लैब टेक्नीशियन	07	02	01	—	10
		ओ.टी. असिस्टेंट	01	—	—	—	01
		आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	02	—	01	—	03
		लैब अटेंडेन्ट	23	06	08	05	42
		रेडियोग्राफर	04	01	01	7	06
		आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	02	—	—	—	02
		रेडियोग्राफर	02	01	—	01	04
		फार्मासिस्ट ग्रेड-2	02	01	—	01	04
		ड्रेसर ग्रेड-2	05	02	01	02	10
	iii. गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)	रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन	02	01	01	—	04
		मैस्ययूर	01	—	—	—	01
		डार्क रूम असिस्टेंट	01	—	—	—	01
		ई.सी.जी टेक्नीशियन	01	—	—	—	01
		लैब असिस्टेंट	—	—	01	—	01
		रेडियोग्राफर	02	—	—	—	02
		एम.आर.आई./सीटी स्केन टेक्नीशियन	—	—	01	—	01
		लैब टेक्नीशियन	04	—	07	05	16
		लैब अटेंडर	—	—	04	—	04
		लैब कीपर	—	—	02	—	02
2.	iv. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर (म.प्र.)	लैब टेक्नीशियन	03	04	01	—	08
		लैब असिस्टेंट	08	02	03	02	15
		ई.सी.जी. टेक्नीशियन	01	—	01	—	02
		आर्थो टेक्नीशियन	01	01	01	—	03
		रेडियोग्राफर	03	—	01	—	04
		डार्क रूम असिस्टेंट	01	—	01	—	02
		फार्मासिस्ट ग्रेड-2	03	01	01	01	06
		टी.बी एंड चेर्स्ट हेल्थ विजीटर	01	—	01	—	02
		ओ.टी. टेक्नीशियन	—	—	01	—	01
		प्रोस्थेटिक/आर्थोटिक टेक्नीशियन	01	—	01	—	02
v.	v. श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)	लैब अटेंडेंट	25	05	06	05	41
		फार्मासिस्ट ग्रेड-2	03	01	02	01	07
		सायटो टेक्नीशियन	01	—	—	—	01
		लाइब्रेरी अटेंडेंट	01	—	01	—	02
		लैब टेक्नीशियन	02	—	—	02	04
		टेक्नीशियन अल्ट्रासाउण्ड	01	—	—	—	01
		रेडियेशन टेक्नीशियन	01	—	01	—	02
		डेन्टल मेकेनिक	—	—	01	—	01
		ड्रेसर	—	—	01	—	01
		नेत्र विज्ञान टेक्नीशियन	01	—	—	—	01
vi.	vi. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)	लैब अटेंडेंट	15	06	08	05	34
		रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन (रेडियोग्राफर/एक्सरे टेक्नीशियन)	04	02	01	01	08
		टेक्नीशियन सर्जरी	02	01	—	—	03
		टेक्नीशियन ऑप्थलमॉलॉजी	01	—	—	—	01
		डेन्टल टेक्नीशियन	02	—	—	—	02

भर्ती का प्रकार	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त हैं	पद	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या				
			अना.	अजा.	अजजा	अपिव	कुल
सीधी भर्ती	2. vi. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)	आर्थो टेक्नीशियन	01	—	—	—	01
		ओ.टी. टेक्नीशियन	01	—	—	—	01
		टेक्नीशियन ऐनेस्थिसिया)	03	01	—	01	05
		टेक्नीशियन (इ.एन.टी.)	01	—	—	—	01
		टेक्नीशियन मेडिसीन / डायलिसिस	02	—	—	—	02
		फार्मासिस्ट ग्रेड-2	15	06	03	04	28
	vii. मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर (म.प्र.)	डार्करम असिस्टेंट	02	01	—	—	03
		लैब टेक्नीशियन	01	—	—	—	01
	3. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.)	रेडियोग्राफर	01	—	—	—	01
		रेडियोग्राफर	36	12	42	10	100
		प्रयोगशाला तकनीशियन	65	13	26	16	120
		नेत्र सहायक	11	04	40	05	60
संचालनालय पशुपालन कामधेनू भवन, वैशाली नगर, भोपाल (म.प्र.)	4. संचालनालय पशुपालन कामधेनू भवन, वैशाली नगर, भोपाल (म.प्र.)	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	269	79	206	66	620
		सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	234	75	93	65	467
		लैब अटेंडेंट	—	01	—	—	01
		मिडवाईफ	25	01	01	01	28
		फार्मासिस्ट ग्रेड - 2	11	—	13	—	24
संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्यप्रदेश, इंदौर (म.प्र.)	6. संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्यप्रदेश, इंदौर (म.प्र.)	इंसर	09	—	—	—	09
		प्रयोगशाला सहायक	06	—	01	—	07
		हेल्थ विजीटर	01	—	—	—	01
		प्रयोगशाला सहायक	05	02	—	01	08
		प्रयोगशाला सहायक	05	02	02	01	10
नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)	9. नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)	प्रयोगशाला परिचारक	22	03	07	05	37
		कुल	879	241	500	209	1829

भर्ती का प्रकार	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त हैं	पद	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या				
			अना.	अजा.	अजजा	अपिव	कुल
सीधी भर्ती बैकलॉग	10. कमला नेहरू चिकित्सा गैस राहत, भोपाल (म.प्र.)	लैब टेक्नीशियन	—	03	05	01	09
	11. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल (म.प्र.)	प्रयोगशाला परिचारक	—	05	04	02	11
कुल		—	08	09	03	20	

भर्ती का प्रकार	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त हैं	पद	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या				
			अना.	अजा.	अजजा	अपिव	कुल
संविदा भर्ती	12. संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल i. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)	आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	—	—	01	—	01
		ई.सी.जी. टेक्नीशियन	07	02	02	02	13
		एनेस्थेसिया टेक्नीशियन	02	01	01	—	04
		इंडोस्कोपिक टेक्नीशियन	01	—	01	—	02
		लैब टेक्नीशियन	01	—	01	—	02
		रेडियोग्राफर / एक्सरे टेक्नीशियन (ट्रामा यूनिट)	02	01	01	—	04
		प्लास्टर टेक्नीशियन (ट्रामा यूनिट)	01	—	01	—	02
		योग	14	04	08	02	28

भर्ती का प्रकार	श्रेणीवार उपलब्ध कुल पद संख्या				
	अना.	अजा.	अजजा	अपिव	कुल
सीधी भर्ती	879	241	500	209	1829
सीधी भर्ती बैकलॉग	0	08	09	03	20
संविदा भर्ती	14	04	08	02	28
महायोग	893	253	517	214	1877

i nks dk , dt kbz fooj . k

क्र.	पद का नाम	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती बैकलॉग	संविदा भर्ती	कुल
1.	लैब टेक्नीशियन (प्रयोगशाला तकनीशियन)	159	009	002	170
2.	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	004	—	013	017
3.	ई.ई.जी. टेक्नीशियन	001	—	—	001
4.	रेडियोग्राफर	131	—	004	135
5.	ओ.टी. सहायक	003	—	—	003
6.	लैब असिस्टेंट (प्रयोगशाला सहायक)	056	—	—	056
7.	आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	005	—	001	006
8.	लैब अटेंडेन्ट (प्रयोगशाला परिचारक)	159	011	—	170
9.	एनेस्थेसिया टेक्नीशियन	005	—	004	009
10.	इण्डोस्कोपिक टेक्नीशियन	—	—	002	002
11.	प्लास्टर टेक्नीशियन	—	—	002	002
12.	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	689	—	—	689
13.	ड्रेसर ग्रेड-2	020	—	—	020
14.	रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन	004	—	—	004
15.	मैस्यूर	001	—	—	001
16.	डार्क रूम असिस्टेंट	006	—	—	006
17.	एम.आर.आई / सीटी स्केन टेक्नीशियन	001	—	—	001
18.	लैब कीपर	002	—	—	002
19.	आर्थो टेक्नीशियन	004	—	—	004
20.	टी.बी. एण्ड चेस्ट हेल्थ विजीटर	002	—	—	002
21.	प्रोस्थेटिक / आर्थोटिक टेक्नीशियन	002	—	—	002
22.	ओ.टी टेक्नीशियन	002	—	—	002
23.	सायटो टेक्नीशियन	001	—	—	001
24.	लाइब्रेरी अटेंडेंट	002	—	—	002
25.	टेक्नीशियन अल्ट्रासाउण्ड	001	—	—	001
26.	रेडियेशन टेक्नीशियन	002	—	—	002
27.	डेन्टल मेकेनिक	001	—	—	001
28.	नेत्र विज्ञान टेक्नीशियन (टेक्नीशियन ऑथलमॉलॉजी)	002	—	—	002
29.	टेक्नीशियन सर्जरी	003	—	—	003
30.	डेन्टल टेक्नीशियन	002	—	—	002
31.	टेक्नीशियन ई.एन.टी.	001	—	—	001
32.	टेक्नीशियन मेडिसिन / डायलिसिस	002	—	—	002
33.	नेत्र सहायक	060	—	—	060
34.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	467	—	—	467
35.	मिडवाईफ	028	—	—	028
36.	हेल्थ विजीटर	001	—	—	001
योग		1829	020	028	1877

(।) सीधी भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण

१. deyk ug: fpfdRI k xJ jkgr] Hkkj ky ½e-ç-½

deyk ug: fpfdRI k xJ jkgr] Hkkj ky ½e-ç-½ के पत्र क्रमांक 2065/संचा./क.ने.चि./गै.रा./एन.जी./2014 भोपाल, दिनांक 23/09/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है—

vkj{k. k rkfydk

a. I h/kh HkrhZ & bZI h-th VDuhf' k; u & dly 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200–20200 \$2100 XM is

'kQkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का ई.सी.जी. टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
- पैरामेडिकल कॉन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

b. I h/kh HkrhZ & jfM; kxtQj & dly 06 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	—	—	04	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	05	01	—	—	06	

orueku & 5200–20200 \$2800 XM is

'kQkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्राशिक्षण उत्तीर्ण तथा म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद से पंजीकृत होना चाहिये।

c. I h/kh HkrhZ & vksVh- Igk; d & dly 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200–20200 \$1900 XM is

'kQkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- केन्द्र/राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में मेजर ओ.टी. में एक वर्ष का कार्यानुभव।

2. | pkyuky; fpfdRI k f'k{kk e/; çns k] Hkkj ky ½e-ç-½

I pkyuky; fpfdRI k f'k{kk e/; çns k] Hkkj ky (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 536/स्था/अराज/ 2014 भोपाल दिनांक 27/09/2014 के अंतर्गत एवं पत्र क्रमांक/1/अराज/स्था/15 भोपाल दिनांक 03.01.2015 एवं पत्र क्रमांक 164/स्था./अराज/2015 भोपाल दिनांक 03/03/2015 के अन्तर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

i. xk/kh fpfdRI k egkfo | ky;] Hkkj ky (म.प्र.)

vkj {k.k rkfydk

a. | h/kh HkrhZ & yf vfl LVV & dly 15 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	03	—	—	07	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 02 पद अस्थिराधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	—	—	—	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	—	—	—	03	
	; kx	12	03	—	—	15	

orueku & 5200&20200\$1900 XM is

'kx kx ; kx rk &

2. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
3. म.प्र. पैरामेडिकल काउन्सिल से मान्यता प्राप्त सी.एम.एल.टी, डी.एम.एल.टी. अथवा बी.एम.एल.टी. कोर्स प्रशिक्षित को प्राथमिकता।

b. | h/kh HkrhZ & yf VDuhf'k; u & dly 10 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	01	02	—	07	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 पद अस्थिराधित एवं 01 पद श्रवणबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	06	02	02	—	10	

orueku & 5200&20200\$2800 XM is

'kx kx ; kx rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से पैथालॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डिप्लोमा डी.एम.एल.टी.) पैरामेडिकल काउन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

c. | h/kh HkrhZ & vksVh vfl LVV & dly 01 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 पद अस्थिराधित एवं 01 पद श्रवणबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2800 XM is

'kx kx ; kx rk & विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

d. | h/kh HkrhZ & vKD; i's kuy Fkjfi LV & dy 03 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	—	—	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	01	—	—	03	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- व्यावसायिक थेरेपिस्ट (आकृपृष्ठेशनल थेरेपिस्ट) का डिप्लोमा।

e. | h/kh HkrhZ & yf vVUMH & dy 42 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	11	07	05	—	23	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	02	—	—	06	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	03	—	—	08	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	02	—	—	05	
	; kx	23	14	05	—	42	

orueku & 4440&7440\$1300 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk & जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

f. | h/kh HkrhZ & jfM; kxkQj & dy 06 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	—	—	04	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	05	01	—	—	06	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
- मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् में पंजीयन होना चाहिए।

ii. egkRek xky/kh Lefr fpfdRI k egkfo | ky;] bUnkj (म.प्र.)

a. I h/kh HkrhZ & vKD; i skuy Fkjfi LV & dy 02 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- व्यावसायिक थेरेपिस्ट (आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट) का डिप्लोमा।

b. I h/kh HkrhZ & jfM; kxkQj & dy 04 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	04	—	—	—	04	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- रेडियोग्राफर का डिप्लोमा प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
- मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् में पंजीयन होना चाहिए।

c. I h/kh HkrhZ & QkekFI LV xM&2 & dy 04 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	04	—	—	—	04	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिप्लोमा प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
- फार्मेसी कॉसिल में फार्मासिस्ट का पंजीयन।

d. I h/kh HkrhZ & Mj xM&2 & dy 10 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	05	—	—	—	05	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	—	—	—	02	
	; kx	10	&	&	&	10	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- ड्रेसर का तीन माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण।

iii. xtjkjktk fpfdRI k egkfo | ky;] Xokfy; j (म.प्र.)

a. I h/kh HkrhZ & jfM; kFkjš h VDuhf' k; u & dly 04 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	04	—	—	—	04	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kQkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- ए.इ.आर.बी. मुम्बई का रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग प्रमाण पत्र।

b. I h/kh HkrhZ & eL; ; j & dly 01 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kQkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- फिजियोथेरेपी में डिग्री अथवा डिप्लोमा।

c. I h/kh HkrhZ & MkdZ : e vfl LVW & dly 01 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'kQkf.kd ; kx; rk & विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

d. I h/kh HkrhZ & bzbzth VDuhf' k; u & dly 01 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200 xM is

'kQkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से दो वर्ष का ई.इ.जी. टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
- सह यिकिस्तकीय परिषद्, भोपाल में पंजीयन होना आवश्यक है।

e. | h/kh HkrhZ & yf vfl LVW & dY 01 i n

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2800 XM is

'kxkf.kd ; kx; rk & विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

f. | h/kh HkrhZ & jfM; kxkQj & dY 02 i n

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	01	—	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	&	01	&	02	

orueku & 5200&20200\$2800 XM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. सह चिकित्सकीय परिषद् भोपाल में पंजीयन होना आवश्यक है।

g. | h/kh HkrhZ & , e-vkj-vkbz@| hVh Ldu VDuhf'k; u & dY 01 i n

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2800 XM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से एम.आर.आई./सीटी स्केन टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. सह चिकित्सकीय परिषद् भोपाल में पंजीयन होना आवश्यक है।

h. | h/kh HkrhZ & yf vDuhf'k; u & dY 16 i n

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	02	—	04	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	06	—	01	—	07	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	01	—	05	
	; kx	11	01	04	&	16	

orueku & 5200&20200\$2800 XM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से (डी.एम.एल.टी.) का दो वर्षीय डिप्लोमा।
- म.प्र. सह चिकित्सकीय परिषद् भोपाल में पंजीयन होना आवश्यक है।

i. | h/kh Hkrh & yfc vVs Mj & dy 04 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	—	—	—	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	04	—	—	—	04	

orueku & 4440&7440\$1300 xM is

'kskf.kd ; kx; rk & जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

j. | h/kh Hkrh & yfc dhi j & dy 02 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 4440&7440\$1300 xM is

'kskf.kd ; kx; rk & जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

iv. usrkth | kkk"kpUlnz ckl esfMdy dklyst] tcyijj (म.प्र.)

a. | h/kh Hkrh & yfc VDuhf'k; u & dy 08 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 पद श्रवणबाधित एवं 01 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	01	01	03	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	—	—	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	05	01	01	01	08	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kskf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- शास्त्र द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से (डी.एम.एल.टी.) का दो वर्षीय डिप्लोमा/10 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
- पैरामेडिकल कॉंसिल में पंजीयन आवश्यक।

b. | h/kh Hkrh & yfc vfl LVV & dy 15 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्ति में से 01 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	05	02	01	—	08	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	—	—	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	—	—	—	02	
	; kx	10	04	01	&	15	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kskf.kd ; kx; rk & विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

c. | h/kh HkrhZ & bZl h-th- VDuhf' k; u & dly 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$2100 XM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का ई.सी.जी. टेक्नीशियन का प्रशिक्षण।
- पैरामेडिकल कॉसिल में पंजीयन आवश्यक।

d. | h/kh HkrhZ & vklFkkV/Duhf' k; u & dly 03 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	01	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	01	—	—	03	

orueku & 5200&20200\$2400 XM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- प्रोत्थेटिक आर्थो टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
- पैरामेडिकल कॉसिल में पंजीयन आवश्यक।

e. | h/kh HkrhZ & jSM; kxkJ & dly 04 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	—	—	03	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	03	01	—	—	04	

orueku & 5200&20200\$2800 XM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- पैरामेडिकल कॉसिल म.प्र. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफर का निर्धारित प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
- पैरामेडिकल कॉसिल में पंजीयन आवश्यक।

f. | h/kh HkrhZ & MkdZ : e vfl LVV & dly 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$1900 XM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- रेडियोग्राफर प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवार को प्राथमिकता।

g. I h/kh HkrhL & QkekFI LV xM&2 & dly 06 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	02	01	—	03	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	03	02	01	—	06	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- फार्मासिस्ट का डिप्लोमा ।
- फार्मेसी कॉसिल से फार्मासिस्ट का पंजीयन ।

h. I h/kh HkrhL & Vh-ch , M pLV gVFk fothVj & dly 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से ट्यूबरक्लॉसिस हेल्थ विजीटर कोर्स उत्तीर्ण ।

i. I h/kh HkrhL & vksVh- VDUhf'k; u & dly 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से ओ.टी. टेक्नीशियन का डिप्लोमा प्राप्त ।
- म.प्र. पेरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन आवश्यक ।

j. I h/kh HkrhL & ckLFkfVd@vkFkfVd VDUhf'k; u & dly 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोथेटिक/आर्थोटिक डिप्लोमा, आर.सी.आई. (रिहैब्लीटेशन काउंसिल ऑफ इण्डिया) में पंजीयन ।

k. I h/kh HkrhZ & yfc vVMV & dly 41 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	09	09	05	02	25	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 पद अस्थिबाधित एवं 01 पद श्रवणबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मार्च किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	02	02	—	05	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	02	02	—	06	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	02	02	—	05	
	; kx	13	15	11	02	41	

orueku & 4440&7440\$1300 xM is
'kxlf.kd ; kx; rk & जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

v. ' ; ke 'kkg fpfdRI k egkfo | ky;] jhok (म.प्र.)

a. I h/kh HkrhZ & QkekfI LV xM&2 & dly 07 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	—	—	—	03	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	07	—	—	—	07	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is
'kxlf.kd ; kx; rk &
1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. फार्मासिस्ट का डिल्लोमा।
3. फार्मर्सी कॉसिल से फार्मासिस्ट का पंजीयन।

b. I h/kh HkrhZ & I k; Vks VDUhf'k; u & dly 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is
'kxlf.kd ; kx; rk &
1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. सायटो टेक्नीशियन का प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
3. पैरामेडिकल कॉसिल भोपाल से पंजीयन।

c. I h/kh HkrhZ & ykbcjh vVMV & dly 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$1800 xM is
'kxlf.kd ; kx; rk & जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

d. | h/kh HkrhZ & yf VDuhf'k; u & dgy 04 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	—	—	—	02	
;	kx	04	—	—	—	04	

orueku & 5200&20200\$2800 XM is

'kQkf.kd ; kM; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. पैथालॉजी लेबरेटरी टेक्नीशियन का 10 माह/एक वर्ष का शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण उत्तीर्ण अथवा डिप्लोमा इन मेडिकल पैथालॉजी।
3. पैरामेडिकल कौसिल से पंजीयन अनिवार्य।

e. | h/kh HkrhZ & VDuhf'k; u vYVkl km.M & dgy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
;	kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 XM is

'kQkf.kd ; kM; rk &

1. विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अल्ट्रासाउण्ड टेक्नीशियन प्रशिक्षण उत्तीर्ण।

f. | h/kh HkrhZ & jfM; sku VDuhf'k; u & dgy 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
;	kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$2400 XM is

'kQkf.kd ; kM; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. दो वर्ष का थेरेपी रेडियोग्राफर्स कोर्स अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष योग्यता।

g. | h/kh HkrhZ & MfVy edsfud & dgy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
;	kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 XM is

'kQkf.kd ; kM; rk &

1. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से डेन्टल मेकेनिक का दो वर्ष का प्रशिक्षण एवं डेन्टल कौसिल से पंजीकृत।

h. | h/kh HkrhZ & M^Y j & d^Y 01 i n

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$1900 xM i s

'kskf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- ड्रेसर का तीन माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण।

i. | h/kh HkrhZ & u^Y foKku VDuhf'k; u & d^Y 01 i n

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 xM i s

'kskf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- दो वर्ष का अप्टोमट्रिस्ट में डिप्लोमा और आरपी सेंटर नई दिल्ली से डिग्री/डिप्लोमा आधारित टेक्निक तथा उपकरण के रख रखाव का विकित्सालय का दो वर्ष का अनुभव।

j. | h/kh HkrhZ & y^Y vVMM & d^Y 34 i n

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	11	04	—	—	15	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	05	01	—	—	06	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	07	01	—	—	08	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	01	—	—	05	
	; kx	27	07	—	—	34	

orueku & 4440&7440\$1300 xM i s

'kskf.kd ; kx; rk & जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

vi. c^Ysy[k.M fpfdRl k egkfo | ky;] | kxj ½-e-ç-½

a. | h/kh HkrhZ & j fM; kxkfQd VDuhf'k; u ½ fM; kxkQj@, DI js VDuhf'k; u½ & d^Y 08 i n

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	—	—	04	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	07	01	—	—	08	

orueku & 5200&20200\$2400 xM i s

'kskf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिप्लोमा उत्तीर्ण।
- डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

b. | h/kh HkrhZ & VDuhf'k; u | tjh & dgy 03 in

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	03	—	—	—	03	

orueku & 5200&20200\$2400 XM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ओ.टी./सर्जरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा उत्तीर्ण।
- डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

c. | h/kh HkrhZ & VDuhf'k; u vkyFkyeklykth & dgy 01 in

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 XM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से नेत्र सहायक (ऑथलमिक असिस्टेंट) का दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राजकीय शिक्षा से उत्तीर्ण होना अथवा दृष्टिमिति तथा अपवर्तन (ऑप्टोमेट्री एण्ड रिफ्रैक्शन) में डिप्लोमा तथा नेत्र शिविर तथा अन्य में तीन माह का प्रशिक्षण होना चाहिए।
- डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

d. | h/kh HkrhZ & MIVy VDuhf'k; u & dgy 02 in

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$2400 XM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डेन्टल टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
- डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

e. | h/kh HkrhZ & vksVh VDuhf'k; u & dgy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
;	ksx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 XM is

'kskf.kd ; ksx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आर्थों का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा।
- डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

f. | h/kh HkrhZ & vksVh VDuhf'k; u & dgy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
;	ksx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 XM is

'kskf.kd ; ksx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ओ.टी. टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
- डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

g. | h/kh HkrhZ & VDuhf'k; u , usLFkfI ; k & dgy 05 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	—	—	—	03	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
;	ksx	05	—	—	—	05	

orueku & 5200&20200\$2400 XM is

'kskf.kd ; ksx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ऐनेथिसिया टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
- डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

h. | h/kh HkrhZ & VDuhf'k; u bz, u-Vh- & dgy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
;	ksx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2400 XM is

'kskf.kd ; ksx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिप्लोमा इन हियरिंग एण्ड स्पीच लेंग्वेज (डी.एच.एल.एस.) टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
- डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

i. | h/kh HkrhZ & VDuhf'k; u esMfI u@Mk; fyfI | & dly 02 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
;	kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$2400 XM is

'kskf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से हिमोडायलिसीस का डिप्लोमा।
- डिप्लोमाधारी एवं संबंधित संस्था का म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

j. | h/kh HkrhZ & QekfI LV XM&2 & dly 28 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	10	04	01	—	15	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्ति में से .01 पद अस्थिराधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	05	01	—	—	06	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	—	—	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	—	—	04	
;	kx	20	07	01	—	28	

orueku & 5200&20200\$1900 XM is

'kskf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिप्लोमा।
- फार्मसी काउसिलिंग से फार्मासिस्ट का पंजीयन।

k. | h/kh HkrhZ & MkdZ e vfl LVW & dly 03 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
;	kx	03	—	—	—	03	

orueku & 4440&7440\$1400 XM is

'kskf.kd ; kx; rk & विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

vii | pkyd] Xokfy; j ekufI d vkjkk; 'kkyk] Xokfy; j (म.प्र.)

vkj{k.k rkfydk

a. | h/kh HkrhZ & yfc VDuhf'k; u & dly 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
;	kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2800 XM is

'kskf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डी.एम.एल.टी.) एवं पैरामेडिकल कौसिल का पंजीयन अनिवार्य है।

b. I h/kh HkrhZ & jfM; kxkQj & dly 01 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये एवं म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् भोपाल में पंजीयन होना आवश्यक है।

3. I pkyuky; LokLF; I ok, e/; cns k] Hkkkj ky ½e-ç-½

I pkyuky; LokLF; I ok, e/; cns k] Hkkkj ky (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/2/अवि/सेल-2/ 2014/705—यू भोपाल दिनांक 27.09.2014 एवं पत्र क्रमांक/2/अवि/सेल-2/ 2015/56—जेड भोपाल दिनांक 20.02.2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj {k. k rkfydk

a. I h/kh HkrhZ & jfM; kxkQj & dly 100 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	23	09	03	01	36	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 02 पद अस्थिराधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	08	03	01	—	12	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	27	11	02	02	42	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	06	03	01	—	10	
	; kx	64	26	07	03	100	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

U; ure 'kxkf.kd vgjrk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री /10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं
- रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
- मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् में पंजीयन।

okNuh; 'kxkf.kd vgjrk@vutko

& 1. एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का

अ. दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम

अथवा

ब. तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

2. मध्यप्रदेश सहचिकित्सीय परिषद् में पंजीयन।

b. | h/kh HkrhZ & ç; kx'kkyk rdutif'k; u & dy 120 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	42	17	04	02	65	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 02 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	08	04	01	—	13	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	16	07	02	01	26	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	10	04	02	—	16	
	; kx	76	32	09	03	120	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

U; ure 'kxkf.kd vgirk&

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री / 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं
- रोग विज्ञान तकनीशियन (पैथालॉजी तकनीशियन) का निर्धारित 10 माह / 1 वर्ष का प्रशिक्षण या चिकित्सीय रोग विज्ञान में डिप्लोमा (डिप्लोमा इन मेडिकल पैथालॉजी) होना चाहिए।
- मध्यप्रदेश सहचिकित्सीय परिषद् में पंजीयन।

okNuh; 'kxkf.kd vgirk@vukko

- पैथालॉजी का
 - दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डी.एम.एल.टी.)
अथवा
 - तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम (बी.एम.एल.टी.)
अथवा
 - दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.एम.एल.टी.)
- मध्यप्रदेश सहचिकित्सीय परिषद् में पंजीयन।

c. | h/kh HkrhZ & us= l gk; d & dy 60 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	07	02	02	—	11	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	—	—	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	26	10	03	01	40	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	01	—	—	05	
	; kx	40	14	05	01	60	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

U; ure 'kxkf.kd vgirk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री / 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं
- राज्य की चिकित्सा संरथा से नेत्र सहायक (आफथलमिक असिस्टेंट) का दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या दृष्टिमिति तथा अपवर्तन (आप्टोमेंट्री एण्ड रिफ्रेक्शन) में डिप्लोमा तथा नेत्र शिविर तथा अन्य में 3 माह का प्रशिक्षण होना चाहिए।
- मध्यप्रदेश सहचिकित्सीय परिषद् में पंजीयन।

d. | h/kh HkrhZ & QkekFI LV xM&2 & dy 620 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	171	71	18	09	269	निःशक्तजनों की कुल 12 रिक्तियों में से 12 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	50	21	05	03	79	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	132	54	13	07	206	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	41	18	05	02	66	
	; kx	394	164	41	21	620	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

U; ure 'kxkf.kd vgirk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री / 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं
- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा अनुमोदित औषध निर्माण (फार्मसी) में डिप्लोमा तथा
- मध्यप्रदेश फार्मसी कौसिल में भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) के रूप में पंजीयन।

okNuh; 'kxkf.kd vgirk@vukko &

- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा अनुमोदित औषध निर्माण (फार्मसी) में डिप्लोमा
अथवा
- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा अनुमोदित औषध निर्माण (फार्मसी) में बी-फार्मा डिग्री
अथवा
- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा अनुमोदित औषध निर्माण (फार्मसी) में एम-फार्मा डिग्री।
- मध्यप्रदेश फार्मसी कौसिल में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीयन।

4. I pkyuky; i 'kj kyu dke/kw Hkou] o§ kkyh uxj] Hkkki ky ½e-ç-½

I pkyuky; i 'kj kyu dke/kw Hkou] o§ kkyh uxj] Hkkki ky ½e-ç-½ के पत्र क्रमांक 9942/ स्था.ब./बैकलॉग/2014 भोपाल, दिनांक 18/09/2014 एवं पत्र क्रमांक 2718 दिनांक 28.02.2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj{.k rkfydk

I h/kh HkrhZ & I gk; d i 'kj fpfdRI k {k= vf/kdkjh & dy 467 in

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	148	63	16	07	234	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	47	21	05	02	75	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	59	25	06	03	93	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	41	17	05	02	65	
	; kx	295	126	32	14	467	

orueku & 5200–20200 \$ 2400 xM is

'kjkf.kd ; kx; rk &

1. हायर सेकेण्डरी (10+2) प्रणाली से 12वीं परीक्षा विज्ञान विषय (जीव विज्ञान/गणित/कृषि) से उत्तीर्ण ।
2. अनिवार्य न्यूनतम योग्यता – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण ।
3. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने रिसाउंट वेटेरीनरी कॉर्प में ड्रेसर ग्रेड-1 एवं 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवायें पूर्ण की हो, इस परीक्षा हेतु पात्र उम्मीदवार होंगे । इन्हें बिन्दु क्रमांक-1 एवं 2 की अर्हता से छूट होगी ।

5. dk; kly; ed; fpfdRI k ,oa LokLF; vf/kdkjh ½xj jkgr½ Hkkki ky ½e-ç-½

dk; kly; ed; fpfdRI k ,oa LokLF; vf/kdkjh ½xj jkgr½ Hkkki ky ½e-ç-½ के पत्र क्रमांक 5298/मुचिअ/गैरा/अ.प्र./2014 भोपाल, दिनांक 03.09.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj{.k rkfydk

I h/kh HkrhZ & yk; vVW & dy 01 in

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200–20200 \$ 2400 xM is

'kjkf.kd ; kx; rk & जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

6. | pkyuky; depkjh jkT; chek l sk, s e/; cns k] bmkj ½e-ç-½

| pkyuky; depkjh jkT; chek l sk, s e/; cns k] bmkj ½e-ç-½ के पत्र क्रमांक स्था./अवि.

/2014/8697 इंदौर, दिनांक 25/09/2014 एवं पत्र क्रमांक/635 इंदौर, दिनांक 04/10/2014 एवं पत्र क्रमांक/स्था./अवि./2015/2005 इंदौर, दिनांक 11/03/15 एवं पत्र क्रमांक 245, भोपाल दिनांक 11/03/15 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है—

vkj{k. k rkfydk

a. | h/kh HkrhZ & feMokbQ & dly 28 in

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	25	—	—	25	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	01	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	01	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	01	—	—	01	
	; kx	&	28	&	&	28	

orueku & 5200–20200 \$ 2100 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- 1- म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से जीव विज्ञान समूह के विषयों के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- 2- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मिडवाईफरी में एक वर्षीय पाठ्यक्रम।

b. | h/kh HkrhZ & QkektI LV xM & 2 & dly 24 in

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	08	03	—	—	11	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	09	04	—	—	13	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	17	07	&	&	24	

orueku & 5200–20200 \$ 1900 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- 1- म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- 2- मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी में उपाधि/डिप्लोमा व म.प्र. फार्मेसी परिषद में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट।

c. | h/kh HkrhZ & Mj & dly 09 in

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	09	—	—	09	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	—	09	—	—	09	

orueku & 5200–20200 \$ 1800 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- 1- म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से जीवविज्ञान विषय से हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- 2- ड्रेसिंग का ज्ञान।

d. | h/kh HkrhZ & ç; kx'kkyk | gk; d & dy 07 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	02	—	—	06	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
;	kx	05	02	&	&	07	

orueku & 5200–20200 \$ 1900 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- 1- म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- 2- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) चिकित्सकीय प्रयोगशाला तकनीशियन का प्रमाण पत्र/डिप्लोमा ।

e. | h/kh HkrhZ & gyFk fothVj & dy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
;	kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200–20200 \$ 2400 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- 1- म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से जीव विज्ञान समूह के विषयों के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- 2- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हेत्थ विजीटर (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) का प्रमाण पत्र/डिप्लोमा ।

7. e/; çns k jkT; cht çek.khdj .k] Hkkki ky ½-e-ç-½

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 5710/स्था./लि.वर्ग/नियु./

416/2010–14 भोपाल दिनांक 24.09.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है—

vkj{k.k rkfydk

| h/kh HkrhZ & ç; kx'kkyk | gk; d & dy 08 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	01	—	—	05	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 02 पद अस्थिराधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
;	kx	07	01	&	&	08	

orueku & 5200–20200 \$ 1900 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk & विज्ञान विषय लेकर (वनस्पति समूह से) हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

8. संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल] ½e-ç-½

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल, (म.प्र.) के पत्र क्रमांक अ-3-अ/ग्रा.से./स्था.

/05-2013/3960 भोपाल दिनांक 23.09.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj{k.k rkfydk

| h/kh HkrhZ & ç; kx' kkyk | gk; d & dy 10 in

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	01	—	05	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	06	03	01	&	10	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk & विज्ञान समूह के विषयों के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

9. नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 109/शैक्षणिक/2015, जबलपुर, दिनांक 09.01.2015 एवं पत्र क्रमांक 511/शैक्षणिक/भर्ती/2015 दिनांक 05.03.2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj{k.k rkfydk

| h/kh HkrhZ – प्रयोगशाला परिचारक – dy 37 in

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	16	06	—	—	22	नि:शक्तजनों की कुल 03 रिक्तियाँ में से 03 पद अस्थिराधित नि:शक्तजन हेतु आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	—	—	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	02	—	—	07	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	02	—	—	05	
	; kx	26	11	—	—	37	

orueku & 5200&20200\$1800 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- 1- हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा जीव विज्ञान विषय के साथ द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- 2- प्रयोगशाला कार्य का चार वर्ष का अनुभव।

(II) सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों का वर्गवार विवरण

10. deyk ug: fpfdRI k xJ jkgr] Hkksiyky ½e-ç-½

deyk ug: fpfdRI k xJ jkgr] Hkksiyky ½e-ç-½ के पत्र क्रमांक 2065/संचा./क.ने.चि./गै.रा./एन.जी./2014 भोपाल, दिनांक 23/09/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है—

vkj{.k rkfydk

I h/kh HkrhZ cdykk & yk VDuhf'k; u & dly 09 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	—	—	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	02	—	—	05	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	06	03	—	—	09	

orueku & 5200—20200 \$ 2800 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- प्रयोगशाला तकनीशियन का 01 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या रोग चिकित्सा में डिप्लोमा (डिप्लोमा इन मेडिकल पैथोलॉजी) तथा म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद से पंजीकृत होना चाहिये।

11. e;/ çns k çnkk.k fu; f.k ckM] Hkksiyky ½e-ç-½

e;/ çns k çnkk.k fu; f.k ckM] Hkksiyky ½e-ç-½ के पत्र क्रमांक 1921/स्था./प्रनिवो/2012/ भोपाल दिनांक 15/07/2013 एवं पत्र क्रमांक 430 भोपाल दिनांक 09/03/2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है—

vkj{.k rkfydk

I h/kh HkrhZ cdykk & ç; kx'kkyk i fjkjd & dly 11 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	—	—	05	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	—	—	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	02	—	—	02	
	; kx	06	05	&	&	11	

orueku & 5200—20200 \$ 1800 xM is

'kxkf.kd ; kx; rk & जीवविज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(III) संविदा भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण

12. I pkyuky; fpfdRI k f' k{kk e/; çns k] Hkkj ky ½e-ç-½

I pkyuky; fpfdRI k f' k{kk e/; çns k] Hkkj ky (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 536/स्था/अराज/2014 भोपाल दिनांक 27/09/2014 के अंतर्गत एवं पत्र क्रमांक/1/अराज/स्था/15 भोपाल दिनांक 03.01.2015 एवं पत्र क्रमांक 164/स्था./अराज/2015 भोपाल दिनांक 03/03/2015 के अन्तर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

i. xk/kh fpfdRI k egkfo | ky;] Hkkj ky (म.प्र.)

a. I fonk HkrhZ & vKD; i'skuy Fkjfi LV ½i h-, e-vkj-½ & dy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 16560@& fODI is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- व्यावसायिक थेरेपिस्ट (आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट) का डिप्लोमा।

b. I fonk HkrhZ & bZl h-th VDuhf' k; u ½dkfM; d | kbd | ½Vj ½ & dy 13 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	05	02	—	—	07	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	—	—	02	
	; kx	08	05	&	&	13	

orueku & 15730@& fODI is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का ई.सी.जी. टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
- पैरामेडिकल कौन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

c. I fonk HkrhZ & , uLFkfi ; k VDuhf' k; u ½dkfM; d | kbd | ½Vj ½ & dy 04 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	—	—	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	03	01	&	&	04	

orueku & 15730@& fODI is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
- पैरामेडिकल कौन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

d. I fonk HkrhZ & b. MklLdkf i d VDuhf' k; u ॥mnj j kx॥ & dly 02 in

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
;	kx	02	&	&	&	02	

orueku & 15730@& fQDI is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- एक वर्ष के कार्य का अनुभव इन्डोस्कोपिक टेक्नीशियन।
- पैरामेडिकल कौन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

e. I fonk HkrhZ & yfc VDuhf' k; u ॥mnj j kx॥ & dly 02 in

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
;	kx	02	—	—	—	02	

orueku & 15730@& fQDI is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से पैथालोजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डी.एम.एल.टी.) पैरामेडिकल काउन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
- पैरामेडिकल कौन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

f. I fonk HkrhZ & jFM; kxkQj @, DI js VDuhf' k; u ॥/kek ; fuV॥ & dly 04 in

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
;	kx	03	01	&	&	04	

orueku & 15730@& fQDI is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
- म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद में पंजीयन।

g. I fonk HkrhZ & lykLVj VDuhf' k; u ॥/kek ; fuV॥ & dly 02 in

संक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
;	kx	02	—	—	—	02	

orueku & 15730@& fQDI is

'kxkf.kd ; kx; rk &

- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से आर्थी टेक्नीशियन का डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र।
- पैरामेडिकल कौन्सिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

अध्याय – 3
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

[k. M&V]

- 3-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक विभाग/कार्यालय के लिए अपना विकल्प/अधिमान चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (ii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक विभाग/कार्यालय के लिए अपना विकल्प/अधिमान चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iii) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य रूप से होने चाहीये।
- 3-2 (i) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (ii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (iv) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 3-3 i j h{kk gky e y s tkus gr q vko'; d l kexh %&
- (i) मण्डल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश—पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।
- (ii) फोटोयुक्त पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।

- (iv) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह—आई.डी. के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- (v) अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा तिथि पर साथ नहीं लाने की स्थिति में ही मण्डल द्वारा जारी प्रवेश—पत्र (टी.ए.सी.) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा, परीक्षार्थी को तभी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्रता होगी।

3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beeper), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener आदि पूर्णतः वर्जित है।

3-5 e;/ i n's k ds LFkkbl fuokl h vkondk s fy, v k; q l hek %&

- (i) अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 01 जनवरी 2015 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र.सी—3—11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयुसीमा की गणना निम्नानुसार है :—

स.क्रं.	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग—शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
8.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्ष
9.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
10.	म0प्र0 के विकलांग आवेदक (समस्त वर्ग)	45 वर्ष

3-6 e/; i n's k ds LFkkbZ fuokI h vkondk@ dks i kI kgu Lo: i nh tkus okyh NIV %

- (i) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. सी-3-40-आ-84-(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (ii) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (iii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

3-7 e/; i n's k ds LFkkbZ fuokI h vkondk@ dh vk; q I hek ds I c@k e@ vU; fooj.k %

- (i) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (ii) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

Li "Vhdj.k % शब्द “छटनी” किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छ: माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- (iii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

Li "Vhdj.k % शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छ: माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिषों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

- Vii % (1)** उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- 12%** यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3-8 फॉफ्टवेर इंजिनियरिंग एवं फुल कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज फॉकल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजीज

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :—

(i) ; ग्राहक फॉकल स्कूल इंजिनियरिंग एवं टेक्नोलॉजीज फॉकल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजीज

- दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
- मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
- ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
- दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
- निःशक्तजन अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था परीक्षा केन्द्र में भूतल पर ही अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके साथ ही रैम्प का निर्माण भी यथासम्भव किया जायेगा।

(ii) यूक्यु फॉकल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजीज

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :—

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) यूक्यु फॉकल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजीज

- लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
- लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ—पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(iv) बीडी वीर्फ्ड्राइन्क ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजीज

- परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

3-9 **i d's k&i = i k\l r djus dh i f\O; k %&**
ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश—पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

uk\&/& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन—पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3-10 **i j h{k k i d's k&i = (Test Admit Card) :-**

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन—पत्रों के प्रवेश—पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे।
- (ii) मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो—भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iv) आवेदक यदि आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित नहीं होता है तो उसे मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग में पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर उसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नहीं होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को ‘रासा’ में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा।
- (v) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश—पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.11 **मूल्यांकन पद्धति :-**

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3-12 **=fVi wkl it u] ml dk fujLrhdj.k ,oa cnys e\fn; k x; k vd %&**

परीक्षा उपरांत मण्डल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :—

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
- (ix) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

mngkj.k 01 :— यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83 \text{ rounded off to } 92.00$$

mngkj.k 02 :— यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89 \text{ rounded off to } 142.00$$

mngkj.k 03 :— यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91 \text{ rounded off to } 192.00$$

uk\% | Hkh x.kuk dks n'keyo ds nks vdkd jkmMvkD fd; k tk; skA

3.13 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :—

- (i) प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.12 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न-पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

3.14 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :—

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :—

- (i) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- (ii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (iii) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (iv) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- (v) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- (vi) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला—बदली करना।
- (vii) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- (viii) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- (ix) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (x) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- (xi) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
- (xii) उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा।
- (xiii) इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- (xiv) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।
- (xv) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

- (xvi) परीक्षार्थियों द्वारा ओ०ए०आर० उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ०ए०आर० उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ०ए०आर० उत्तर शीटों के ऐसे प्रकरणों को य०एफ०ए० समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत य०एफ०ए० मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।
- (xvii) परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत य०एफ०ए० मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

3-15 i j h{kk i f j . kke dk i dk'ku %&

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ—साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।

3-16 i j h{kk i f j . kke %&

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3-17 e-i z 0; kol kf; d i j h{kk eMy dk dk; l i ds k@Hkrh@i k=rk i j h{kkvks dk I pkyu , oamI dk i f j . kke ?kks"kr djuk ek= gksxk %&

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।
- (ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

3-18 U; kf; d {ks=kf/kdkj %& परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

3-19 vkllykbLu vkonu&i = ds | kfk | ayXu fd; s tkus okys nLrkost k dk fooj .k %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तालिपि में दो लाईने स्कैन करवाकर संलग्न करनी होगी। इस प्रकार हस्तालिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं, दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (vi) अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नहीं होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

3-20 vkllykbLu vkonu i = ds | kfk QksVks , oagLrk{kj | ayXu djus | cdkh funz k %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ vkonu Hkjus dhl frffk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QksVksxkQ ij f[kpokus dhl fnukad o vkonad ds uke dk Li "VmYyf[k gkuk pkfg; A
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3-21 , e-i h- vkllyykbLu fd; kld ds ek/; e I s vkonu Qkel Hkj us dh fof/k %&

- (i) ऐस.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।
- (ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन—पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जावेगा।
- (iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को रखेन कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही—सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन—पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया / करवाया जा सकेगा।

3-22 vkllyykbLu vkonu Hkj us ds I cik ei funsk %

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) i gpk i = ds ehuw ei ernkrk i gpk i =] i udkM] vkk dkM] M1; fo x yk; I s] vdl iph e; QkV/kxkQ] cld i kl cd e; QkV/kxkQ rFkk i kl i kV/ dk i ko/kku j [kk x; k gA

- (iii) यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है rks og nLrkost dkfū I k gſ bl dh tkudkj h vfrfjDr I g&vkbMh ds : i eš inku djuh gkxkhA
- (iv) vkonnd dks vkonu i = es 'kj h j ds LFkk; h fpulg rFkk ijh{k ds I e; i Lr q fd; s tkus okys QkVks i gpk u i = dk fooj.k rFkk Øekd vfuok; l : i I s vfdr fd; k tkuk gkxkhA buds vHkko es vkonu i = Lohdkj ugh gkxkhA
- (v) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (vi) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (vii) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा।

3-23 vkluykbLu vkonu&i = Hkj us dh 0; oLFkk %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र एम.पी.आनलाईन की ocl kbM www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेबसाईट्स से डेविट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ता—बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन—पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन—पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की बेबसाईट के माध्यम से प्रवेश—पत्र प्राप्त किया जा सके।

3-24 vkluykbLu vkonu&i = Hkj us grq nks fodYi gš %&

1/1 b/ju/ dQs }jk k 1D; kLd/ 1/1 Lo; a ds dE; Mj }jk k

- (i) आवेदक बेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** लिंक कर **Vyapam** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी fun@Instructions तथा परीक्षा fu; e@Examination Rules उपलब्ध होंगे।
- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।

- (iii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही—सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन—पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तालिपि की दो लाइनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तालिपि की दो लाइन, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन—पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन—पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन—पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :—

1/1/0fMV@MfcV dkMz 1/1/b/juV cfdk

3-25 0fMV@MfcV dkMz ds ek/; e I s i jh{kk 'k/d dk Hkxrku %&

- (i) आवेदन—पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3-26 b/juV cfdk ds ek/; e I s i jh{kk 'k/d dk Hkxrku %&

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3-27 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोरस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर

आवेदन—पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन—पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3-28 fu/kfFj r frffk e॥ tek fd, x, vkllykbU vkonu i = e॥ I d kk/ku dh ॥ ०; oLFkk

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:—
- (ii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन—पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन—पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई—मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

3-29 , d | s vf/kd vkllykblu vkosu&i = Hkjus | c/kh funsk %

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन—पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा “हॉ” विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन—पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन—पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प “हॉ” का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई—मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन—पत्र की हार्डकॉफी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जायेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन—पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

3-30 vkllykblu vkosu&i = dk fujLrhdj.k %

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
- 3-31 ऑनलाईन आवेदन—पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।
- 3-32 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।
- 3-33 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि व्यापम के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

- (i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796 / 982 / 2012 / आप्र / एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु fu/kfj r ॥; ure 'kfk.kd vgirk को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु | cf/kr foHkkx को प्रेषित करें।
- (ii) संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी।
- (iii) व्यापम द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी।
- (iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (vi) तदुपरांत व्यापम द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

3-35 vkonu i = Hkjus dh | e; kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
28.03.2015	26.04.2015	30	27.04.2015	03.05.2015	07

3-36 fjf[kr i jh{kk dk fooj .k

स.क्र.	परीक्षा	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रश्न पत्र	31.05.2015	रविवार	02 घंटे	प्रातः 10:00 बजे से 12:15 बजे तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे।

परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

3-37 (i) i jh{kk 'kVd %&

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	म.प्र. के मूल निवासियों के लिये		सीधी भर्ती बैकलॉग तथा बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
			अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये		
01-	, d	500/-	250/-	250/-	dkbZ 'kVd ugha	70@&

(ii) I dk{ku fd; s tkus i j ns 'kVd

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01-	, d	100/-	50/-

3-38 i jh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों की शहरवार संख्या के आधार पर एवं मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र	क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र
1.	गुना	2.	ग्वालियर
3.	उज्जैन	4.	इन्दौर
5.	भोपाल	6.	जबलपुर
7.	होशंगाबाद	8.	सागर
9.	रीवा	10.	शहडोल

ç'u i = dk Lrj % gk; j I ds Mh ¼10\$2½ i }fr ¼ foKku fo"k; ½

स. क्र.	विषय
1.	सामान्य अभिरुचि
2.	सामान्य ज्ञान
3.	सामान्य हिन्दी
4.	सामान्य अंग्रेजी
5.	सामान्य गणित
6.	सामान्य विज्ञान
dy & 100 vd	

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

i t u&i fLrdk ds i t uks ds I cdk es vH; konu

1/ukV& ; g i i = doy ijh{kkFkhz }kj k gh Hkj dj fu/kkfj r I e; kof/k rd

e. My dk; kly; es mi yC/k djkus i j fopkj {ks= es fy; k tk, xk 1/

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न—पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :—

I 000	i t u Øekd	=fV dk fooj.k	I k(; ds : i es i LrI nLrkost dk fooj.k	I gyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

vkn'kz mRrjk i j vki fRr grq vH; konu

YukV& ; g i i = doy i j h{kkFkhz }kj k gh Hkj dj fu/kkfj r l e; kof/k rd e. My
dk; kly; e mi yC/k djkus i j fopkj {ks= eafy; k tk, xk %

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

I -Ø-	mRrj Øekd	vkn'kz dñth e i nf'kñ mRrj	vH; Fkhz ds vud kj mRrj	mRrj ds l eFkU e i Lrñ nLrkost dk fooj.k	I gyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

स्थान आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक..... आवेदक का नाम.....

e/; i nsk ds vkfne tutkfr I enk; tS %&c%k] I gkfj ; k , oa Hkkfj ; k tutkfr
ds vH; fFk; ks grq vkonu i = dk i k: i

i h{kk dk uke%& I egi&5 ds vrxi;r i jkefMdy I oxz , oa I gk; d i 'kq fpfdRl k {ks= vf/kdkjh ds fjDr inka dh I a Pr HkrhZ i jh{kk&2015

1.	आवेदक का नाम	:-
2.	पिता का नाम	:-
3.	माता का नाम	:-
4.	लिंग (पुरुष / महिला)	:-

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ संलग्न करे

- | | | |
|-----|--|----------|
| 5. | जन्मतिथि | :- |
| 6. | आदिम जनजाति का नाम | :- |
| 7. | वर्ग (विकलांग / भूतपूर्व सैनिक) | :- |
| 8. | शैक्षणिक योग्यता का विवरण | :- |
| 9. | कार्यअनुभव का विवरण | :- |
| 10. | विशेष / अन्य विवरण | :- |
| 11. | आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम:- | |
| 11. | पदों के लिये विभागों के चयन का विकल्प (नियम पुस्तिका के अध्याय-02 अनुसार) :- | |

I -Ø-	foHkkx dk uke	i nuke
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :-.....
दिनांक :-.....
निवास का पता :-.....
.....
मोबाइल / दूरभाष नं. :-.....

**1. सहारिया, भारिया एवं बैगा जनजाति के अभ्यर्थियों को
ऑफलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए विभागों के पते का विवरण**

स.क्र.	विभाग का नाम एवं पता
1.	संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल (म.प्र.)
2.	संचालक, संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
3.	अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (गैस राहत) फिरोज गांधी काम्प्लेक्स, बेरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.)
5.	संचालक, संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, नन्दा नगर, इन्दौर (म.प्र.)
6.	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)
7.	कुलसचिव, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

**2. सहारिया, भारिया एवं बैगा जनजाति के अभ्यर्थियों को निम्नलिखित विभागों के लिए
ऑफलाईन आवेदन पत्र नहीं भरना है**

स.क्र.	विभाग का नाम एवं पता
1.	संचालनालय पशुपालन कामधेनू भवन, लिंक रोड क्र. 03, वैशाली नगर, भोपाल (म.प्र.)
2.	अपर संचालक (स्थापना), किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल, (म.प्र.)

M.P.PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD, BHOPAL



I eng&5 ds vrxxr i gkeMdy I oxz ,oa l gk; d lk' kq fpfdRI k {ks= vf/kdkjh ds fjDr i nk
dh I a Dr HkrhZ ij h{k&2015

List of Activity

Activity No.	Activity	Duty Assigned by Section	Date of Accomplishment
1.	Receipt of certified rules from the Department	Examination	28.02.2015
2.	Editing of Rules		12.03.2015
3.	Approval of Design of Rule Book		16.03.2015
4.	Approval of Design of Application form	Computer	18.03.2015
5.	Approval of Draft of Advertisement	PRO	18.03.2015
6.	Softcopy of Rules on Vyapam & MPONLINE website	Computer	20.03.2015
7.	Advertisement in News Papers	PRO	21.03.2015
8.	Start of Online A/F	MP Online	22.03.2015
9.	Appointment of Central Observers	Establishment	31.03.2015
10.	End of Online submission of A/F	MP Online	20.04.2015
11.	Start Of Rectification Of Online A/F by Applicant		21.04.2015
12.	Summary of Applications city wise	Computer	22.04.2015
13.	Order for Printing of Question Booklets	Controller	22.04.2015
14.	Letter to Co-ordinators for exam centres	Examination	22.04.2015
15.	End Of Rectification Of Online A/F by Applicant	MP Online	27.04.2015
16.	Scrutiny/ Checking	Computer	29.04.2015 to 01.05.2015
17.	Appointment of Observers	Examination	01.05.2015
18.	Order for Packing of Confidential Material	Strong Room	01.05.2015
19.	Important instructions for smooth conduction of exam	Controller	02.05.2015
20.	Processing of Data	Computer	02.05.2015
21.	Finalized List of Centres to Computer Section	Examination	05.05.2015
22.	Allotment of Roll Nos.	Computer	05.05.2015
23.	Generation of TAC's		05.05.2015
24.	Uploading of TAC's		05.05.2015
25.	Order for Centre wise packing of Question Booklets		05.05.2015
26.	Finalization of Route chart	Transportation	05.05.2015
27.	Letter to Collectors for Law & Order	Examination	06.05.2015
28.	Printing of Reports RASA, Centre List , Centre Advance	Computer	06.05.2015
29.	Printing of Register & Docket for packing of Confidential Material		07.05.2015
30.	Letter for Police arrangement	Examination	07.05.2015
31.	Notice in newspapers regarding TAC's uploading	PRO	08.05.2015
32.	Receipt of Confidential Material	Strong Room	10.05.2015
33.	Preparation of Bank Drafts on the basis of Centre Advance	Finance	11.05.2015
34.	Dispatch of Non-Confidential Material	Examination	11.05.2015
35.	Packing of Confidential Material	Strong Room	11 to 13.05.2015
36.	Briefing of Observers	Examination	14.05.2015
37.	Checking of Confidential Material by Observers	Strong Room	14.05.2015
38.	Dispatch of Confidential Material		15 & 16.05.2015
39.	Examination Day	All	17.05.2015
40.	Uploading of Model Answers Key	Computer	18.05.2015
41.	Last date for Representation on Model Answers Key and Question Paper	Controller	25.05.2015
42.	Meeting of Key Committee		01.06.2015
43.	Uploading of Final Answers Key and Declaration of Result	Computer	15.06.2015

(Shailesh Parve)
Asstt. grade II

(Prof. Sanjay Kumar Jain)
Joint Controller (Exam)

(Dr. Alok Chobey)
Controller